न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29/2023

1. कन्हैयालाल पुत्र भैरूराम
2. रामकरण पुत्र भैरूराम
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र सागरमल
4. सरजूदेवी पत्नि रामकरण
5. बिदामदेवी पुत्री भोलूराम
6. कैलाशचंद पुत्र भोलूराम
7. सीताराम पुत्र भोलूराम

समस्त जाति जाट निवासीयान ढाका की ढाणी, रामसिंहपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किरण पत्नि दुर्गाप्रसाद जाति अहिर नि0 उलनेडी, तह0 मुण्डावर जिला अलवर
2. जयन्त पुत्र दिनेशकुमार जाति अहिर नि0 25 मुक्तानन्द नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री श्रवण जाखड वकील प्रार्थीगण

दिनांक :- 09.05.2025

उपखण्ड अधिकारी एवं ... जोबनेर जिला जयपुर

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 241/130, 242/130, 243/130 कुल रकबा 5.8040 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसके पूर्व में खसरा नं0 131/2 रकबा 5.2856 हे0 वाके ग्राम चिरनोटिया की आराजी स्थित है जो अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदार है। खसरा नंबर 131/2 की दक्षिणी सींव के सहारे-सहारे मार्क बी से सी 20 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण इसके अलावा कोई विकल्प रास्ते का नही है। यही रास्ता सुविधाजनक, नजदीक है। प्रार्थीगण के पास वर्तमान मे कोई अन्य रास्त उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यंत्रों को लाने ले जोन व पशुओ के लिए चारा वगेराह लाने ले जाने में उसको सुविधा होगी। अतः आराजी खसरा नम्बर 131/2 की दक्षिणी सींव के सहारे-सहारे 20 फुट चौडाई के रास्ते को रास्ता कायम किया जावें। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251ए रा0टी0ऐ0 के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 15.12.2023 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 241/130 में फसल काश्त के लिए वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 131/2 मे से आवागमन करते है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता हैं। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर किसी बैंक या संस्था का रहन दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ख0नं0 131/2 में बिन्दू 'ए' से 'बी' तक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 64 मीटर एवं चौडाई 20 फुट (6.09 मीटर) लेने पर रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 0.0390 हे0 (390 वर्ग मीटर) आता है। उक्त चाहा गया रास्ता मौके पर चालु नहीं है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो को नोटिस देकर तैयार की गई है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो का दोहरान किया तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 241/130, 242/130, 243/130 कुल रकबा 5.8040 हे0 वाके ग्राम चिरनोटिया में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 131/2 मे से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 241/130, 242/130, 243/130 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 131/2 से रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 64 मीटर एवं चौडाई 20 फुट (6.09 मीटर) लेने पर रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 0.0390 हे0 (390 वर्ग मीटर) आता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 131/2 से ही उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आ.0ख0नं0 131/2 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 64 मीटर एवं चौडाई 20 फुट (6.09 मीटर) लेने पर रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 0.0390 हे0 (390 वर्ग मीटर) आता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 241/130, 242/130, 243/130 तक आराजी खसरा नम्बर 131/2 में से होकर 64 मीटर लम्बा एवं 20 फुट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर दिये जाने वाले रास्ते की भूमि की गणना कर प्रार्थीगण के हिस्से की खातेदारी से उतनी ही भूमि अप्रार्थीगण को प्रदान करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 15.12.2023 की रिपोर्ट के अनुसार कुल लम्बाई 64 मीटर का गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 15.12.2023 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

dS

(देवे[illegible] चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर